झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 67 वर्ष 2021

संदीप कुमार उर्फ संदीप साहू उर्फ संदीप साव ....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विरोधी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री विकास कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: श्री पी0डी0 अग्रवाल, अधिवक्ता।

05/21.06.2021 श्री विकास कुमार, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री पी0डी0 अग्रवाल, राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस याचिका पर सुनवाई की गई है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

वर्तमान याचिका, जी0आर0 वाद संख्या 1364/2011 के अनुरूप मांडू थाना काण्ड संख्या 90/2011 में पारित दिनांक 02.07.2016 और 29.01.2018 के आदेशों को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्त्ता की जमानत रद्द कर दी गई है आज़ैर बाद में याचिकाकर्त्ता के खिलाफ गिरफ्तारी गैर–जमानती वारट जारी किया

गया है और याचिकाकर्त्ता के खिलाफ 83 सीआर0पी0सी0 की आगे की प्रक्रिया जारी की गई है, जो रामगढ़ में विद्वान ए0सी0जे0एम0 की अदालत में लंबित है।

श्री विकास कुमार, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्त्ता के जमानत बॉड दिनांक 02.07.2016 को रद्द कर दिया गया है और दिनांक 29.01.2018 के आदेश के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत प्रक्रिया जारी की गई है। उन्होनें कहा कि दिनांक 29.01.2018 का आदेश संतुष्टि के बिना एक गूढ़ आदेश है और उस खंड के संबंध में मापदंड का पालन करते हुए, उसे पारित किया गया है।

श्री पी0डी0 अग्रवाल, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि याचिकाकर्त्ता को पर्याप्त मौका प्रदान करने के बाद भी वह निम्न न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और निम्न न्यायालय ने सही रूप से आक्षेपित आदेश पारित किया है। वे कहते हैं कि आक्षेपित आदेश में कोई गलती नहीं है।

दिनांक 29.01.2018 के आदेश का अध्ययन करने पर, यह प्रकट होता है कि इस न्यायालय द्वारा मो0 रूस्तम आलम उर्फ रूस्तम और अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य के मामले में पारित आदेश के मापदंड और दं0प्र0सं0 की धारा 83 का पालन नहीं किया गया है।

अनुलग्नक–3 यह सुझाव देता है कि याचिकाकर्त्ता सर्वाइकल स्पोंडीलॉसिस एवं गहन अवसाद से पीड़ित था, जिसके लिए चिकित्सा निर्देश्पा को अभिलेख पर लाया गया है।

मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर और यह देखते हुएकि सीआर0पी0सी0 की धारा 83 के मापदंडों और मो0 रूस्तम आलम उर्फ रूस्तम (सुप्रा) के फैसले का पालन नहीं किया गया है और जैसा कि श्री कुमार, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बार में प्रस्तुत किया गया है, याचिकाकर्त्ता 28.06.2021 को या उससे पहले अदालत में पेश होगा, यह न्याय के हित के लिए पर्याप्त होगा कि इस आपराधिक विविध याचिका को

यचिकाकर्त्ता को 28.06.2021 को या उससे पहले अदालत में पेश होने का निर्देश देते हुए निपटाया जाय।

यदि याचिकाकर्त्ता 28.06.2021 को या उससे पहले उपस्थित होता है, तो दिनांक 02.07.2016 और 29.01.2018 के आदेशों को प्रभावी नहीं किया जाएगा और उसी जमानत बांड पर याचिकाकर्त्ता को जमानत के विशेषाधिकार की अनुमति दी जाएगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्त्ता 28.06.2021 को या उससे पहले उपस्थित नहीं होता है, तो नीचे की अदालत याचिकाकर्त्ता के खिलाफ सभी कठोर कदम उठाएगी।

उपरोक्त अवलोकन के साथ, इस आपराधिक विविध याचिका का निपटारा किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)